विभाग का नाम	**लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या**	भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) का वर्ष	कार्यान्वयन हेतु लबित कंडिकाए	कंडिकाओं की सख्या	कुल सख्या
Energy Department	339	1987-88	2.12,2.13	2	

ऊर्जा विभाग

वर्ष 1987-88

कंडिका सं० 2.12

उत्तरी कोयल परियोजना मंडल (पलामू) को असंबंधित मांग के विरुद्ध बिजली प्रस्तुति में अनियमितता एवं बिजली बिलों के भुगतान के समय से न करने के फलस्वरूप सरचार्ज एवं अन्य वित्तीय हानि ।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभागीय पत्रांक 2928 दिनांक 19 सितम्बर 2001

इस कंडिका के संबंध में ऊर्जा विभाग के बोर्ड/निगमों से प्राप्त उत्तर का सारांश निम्नवत है—

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड —उत्तरी कोयल परियोजना को अविभाजित बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की उपभोक्ता या उसके द्वारा यदि विद्युत विपत्र के रूप में अधिक राशि का भुगतान किया गया है तो इसका मिलान उपभोक्ता एवं संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के बीच किया जाना होगा । अब यह क्षेत्र झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के नियंत्रण में है, अतः अब झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड से सम्पर्क स्थापित कर इसे ठीक करवाकर अधिक राशि यदि निकले तो भविष्य के विपत्रों में समायोजन करा सकते हैं ।

उपर्युक्त के आलोक में कहना है कि यह कंडिका ऊर्जा विभाग से संबंधित नहीं है । अतएव इसे निरस्त करने की कृपा की जाय ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशें

समिति विभागीय उत्तर के आलोक में ऐसा समझती है कि यह मामला पलामू के उत्तरी कोयल परियोजना से संबंधित है । बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत निर्णय होने तक इस कंडिका पर तत्काल विचार करना उचित प्रतीत नहीं होता है । इसका उत्तर छः माह के अन्दर समिति को उपलब्ध करावें ।

कंडिका सं०-2.13

बिजली बिल पर अपरिहार्य व्यय

विभागीय स्पष्टीकरण

इस कंडिका के संबंध में ऊर्जा विभाग के बोर्ड/निगमों से प्राप्त उत्तर का सारांश निम्नवत है--

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड---हजारीबाग जिला में तेनूघाट परियोजना हेतु भूखंड को तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का उपभोक्ता था, उसके द्वारा यदि अनियमितता हुई है तो उसका स्पष्टीकरण उक्त विभाग ही दे सकता है जो अब झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन नहीं है।

बिहार राज्य जल विद्युत निगम---यह कंडिका बिहार राज्य जल विद्युत निगम से संबंधित है।

तेनूघाट विद्युत निगम---इस विद्युत निगम से संबंधित नहीं है।

उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि यह कंडिका ऊर्जा विभाग से संबंधित नहीं है। अतएव इसे निरस्त करने की कृपा की जाय।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशें

समिति विभागीय उत्तर के आलोक में देखा, समझती है कि यह हजारीबाग तेनूघाट परियोजना से संबंधित है। फलस्वरूप इस कंडिका पर विमर्श करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसका उत्तर समिति को छः माह के अन्दर उपलब्ध करायें।

ऊर्जा विभाग से संबंधित

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन।

वर्ष 1988-89

कंडिका संख्या 2.2.4

अनुदानों के मामले में व्यय घटकर प्रत्येक एक करोड़ से अधिक से भी कम हो गया है और कुल बजट व्यवस्था का 10 प्रतिशत से अधिक हो गया—95.35 करोड़।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस कंडिका के संबंध में ऊर्जा विभाग के बोर्ड/निगमों से प्राप्त उत्तर का सारांश निम्नवत है—

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड—यह कंडिका स्वीकृत अनुदान से कम राशि का उपयोग किये जाने से संबंधित है। नियम की शेयर पूंजी एवं कर्ज दोनों ही मदों में 17.50 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध नियम को कोई राशि विमुक्त नहीं हो सकी है।

ब्रेडा—वित्तीय वर्ष 1988-89 में ब्रेडा को अनुदान के रुप में राज्यांश का 0.9395 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है तथा केन्द्रांश का 2.2810 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ जिसका कुल योग 3.2175 करोड़ रुपये है। ब्रेडा द्वारा कतिपय योजनाओं को जिला प्रशासन के माध्यम से कार्यान्वयन कराया जाता है जिसके लिए निर्दिष्ट निधि को जिला उप विकास आयुक्त को आवंटन के उपरान्त विमुक्त किया जाता है।

वर्ष में 2.8067 करोड़ रुपये का उपयोग किया है। ब्रेडा को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत को विभिन्न कार्यक्रम कई वर्षों के दौरान अविरामी तौर पर चलाये जाते है। एक वर्ष की आवंटित राशि का अव्यवहृत अंश अनुवर्ती वर्षों में भी उपयोग किया जाता है।

तेनूघाट विद्युत निगम— इस निगम को अनुदान के रुप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। सरकार से वर्ष 1987-88 में 11.80 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई और वर्ष 1988-89 में 111.69 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रुप में प्राप्त हुई।

बोर्ड/निगमों से प्राप्त उक्त प्रकार के प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि ऊर्जा विभाग द्वारा अपने बोर्ड/निगमों को प्रावधान के अन्तर्गत राशि उपलब्ध कराने में तत्परता बरती गयी है जिसके आलोक में उक्त कंडिका को स्थगित करने पर विचार करने की कृपा की जाय।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभागीय उत्तर के अवलोकन के पश्चात समिति को अवगत कराया गया है कि स्वीकृत अनुदान से कम राशि का उपयोग किये जाने से संबंधित कंडिका है जिसमें पूंजी एवं कर्ज दोनों मद के विरुद्ध कोई भी राशि विमुक्त नहीं की गयी है। बेड़ा को जो राज्यांश प्राप्त हुआ तथा केन्द्रांश से प्राप्त राशि को विभिन्न योजनाओं को जिला प्रशासन के माध्यम से जिला विकास अभियुक्त के माध्यम से विमुक्त किया जाता है। समिति को विभागीय उत्तर से यह भी लगता है कि आवंटित राशि का अव्ययहृत अंश अनुवर्ती वर्षों में भी खर्च किये जाते हैं। वैसी स्थिति में प्रावधान के अन्तर्गत राशि उपलब्ध कराने में तत्परता करती गयी है को यह कह देना ही समिति काफी नहीं समझती है। समिति इस कंडिका के संबंध में अनुशंसा करती है कि इसकी समुचित जांच आवश्यक है चूंकि मामला तेनुघाट विद्युत निगम झारखंड राज्य से भी संबंधित है। अतएव इसकी जांच कर छः माह के अन्दर समिति को सूचित करे।

समिति इस कंडिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है।

कंडिका संख्या 2.2 6

वर्णित मामलों में 50 लाख रुपये और उससे अधिक की समुचो धन अवस्था का उपयोग नहीं हो सका।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस कंडिका के संबंध में उर्जा विभाग के बोर्ड/निगमों से प्राप्त उत्तर का सारांश निम्नवत है--

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड--बोर्ड को राज्य सरकार से वर्ष 1988-89 के दौरान योजना मद में 107 58 करोड़ एवं अनुदान मद में 26 89 करोड़ कुल 134.47 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। प्राप्त राशि का शत-प्रतिशत उपयोग बोर्ड द्वारा किया जा चुका है। बोर्ड का वार्षिक लेखा 1988-89 महालेखाकार बिहार द्वारा अंकेक्षित हो चुकने के पश्चात इसे इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 69(4) के अन्तर्गत विधान मंडल के दोनों पटलों पर उपस्थापित किया जा चुका है।

बिहार राज्य जल विद्युत निगम--इस निगम को इस वित्तीय वर्ष में कोई निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उपयोग में लाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

ब्रेडा—ब्रेडा के विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम कई वर्षों के दौरान अविराम तौर पर चलाये जाते हैं और राशि उपयोग में लाई जाती है।

तेनुघाट विद्युत निगम—इस निगम को प्राप्त राशि का उपयोग निगम के परियोजना के निर्माण में पूर्णरूपेण किया गया ।

उपर्युक्त बोर्ड/निगमों से प्राप्त प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि जो भी राशि उक्त वर्ष में प्राप्त हुई है उसका पूर्ण उपयोग किया गया है जिसके कारण उक्त कंडिका को निरस्त करने पर विचार करने की कृपा की जाय।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशें

समिति को विभागीय उत्तर के विवेचन से यह स्पष्ट हुआ कि बोर्ड का वार्षिक लेखा वर्ष 1988-89 महालेखाकार द्वारा अंकेक्षित हो चुका है और उसे विधान मंडल में उपस्थापित किये जा चुका है। उसी क्रम में समिति ने यह भी देखा कि बिहार राज्य जल विद्युत निगम को उस वित्तीय वर्ष में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई जबकि उसी जगह विभाग यह भी बतलाता है कि तेनुघाट विद्युत निगम को प्राप्त राशि का उपयोग परियोजना के निर्माण में पूर्णरूप से किया गया है। विभागीय उत्तर में यह भी दिखलाया गया है कि ब्रेडा को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत में अविराम कार्य होने के कारण ही राशि उपयोग में लायी जाती है। ऐसी स्थिति में समिति सिफारिश करती है कि विभागीय उत्तर न तो युक्तिसंगत है और न विश्वास करने योग्य ही। मामला तेनुघाट झारखंड से भी संबंध है, ऐसी स्थिति में समिति अनुशंसा करती है कि इसकी जांच कराकर छः माह के अन्दर समिति को अवगत करायें।

समिति अब इस कंडिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है।

कंडिका सं०-2 2 10(ग)

बचतों का अभ्यर्पण

विभागीय स्पष्टीकरण

इस कंडिका के संबंध में ऊर्जा विभाग के बोर्ड/निगमों से प्राप्त उत्तर का सारांश निम्नवत है—

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड—बोर्ड को राज्य सरकार से वर्ष 1988-89 के दौरान योजना मद में 107.58 करोड़ एवं अनुदान मद में 26.89 करोड़ कुल 134.47

करोड़ रुपये जो प्राप्त हुई उसका उपयोग कर लिया गया। बोर्ड के लेखा प्रणाली के अनुसार राज्य सरकार से जो भी राशि बर्षान्त में मिलती है उसे अभ्यर्पित नहीं माना जा सकता है क्योंकि बोर्ड उसे बैंक में रखकर उसका उपयोग दायित्वों के भुगतान में करता है। अतः कोई भी राशि को अभ्यर्पण करने का प्रश्न नहीं होता है।

बिहार राज्य जल विद्युत निगम—इस वित्तीय वर्ष में राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उपयोग का प्रश्न नहीं उठता है।

ब्रेडा— ब्रेडा के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के विभिन्न कार्यक्रम कई वर्षो के दौरान अविराम तौर पर बनाये जाते हैं और राशि उपयोग में लाई जाती है। इस लिए अभ्यर्पण का प्रश्न नहीं उठता।

तेनुघाट विद्युत निगम—इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि का पुर्णरुपेण उपयोग किया गया है। बचत का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

बोर्ड/निगमों से उक्त प्रकार के प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि बोर्ड/निगम को जो भी राशि प्राप्त होती है उसे वे अपने लेखा प्रक्रिया के अनुसार (लेखा बैंक के अनुसार) खर्च करते हैं अतएव अभ्यर्पण का प्रश्न नहीं उठता है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहती है।

कंडिका संख्या-6.1 (ख)

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

विभागीय स्पष्टीकरण

इस कंडिका के संबंध में ऊर्जा विभाग के बोर्ड/निगमों से प्राप्त उत्तर का सारांश निम्नवत है—

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड—वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान बोर्ड को 26.89 करोड़ एवं जो विभाग के पत्रांक 6093 दिनांक 27 दिसम्बर 1988 के माध्यम से मिला था (प्रतिलिपि संलग्न) उपरोक्त राशि मार्केट बौन्ड के पुन भुगतान एव ब्याज को राशि के भुगतान हेतु दिया गया था। राज्य सरकार से प्राप्त राशि के अतिरिक्त बोर्ड ने इस मद में कुल 97,57,78,725.00 रुपये का भुगतान किया जिसका ब्यौरा इस प्रकार है—

मूल धन—22,89,19,000.00
ब्याज—74,68,59,725.00

बोर्ड का वार्षिक लेखा 1988-89 अंकेक्षण हो चुका है । उसके पृष्ट 67 एवं 68 से उपरोक्त कथन की पुष्टि होती है (प्रतिलिपि संलग्न) ।

बिहार राज्य जल विद्युत निगम —निगम को इस वित्तीय वर्ष में कोई निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उपयोग में लाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

ब्रेडा--ब्रेडा के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के विभिन्न कार्यक्रम कई वर्षों के दौरान अविराम तौर पर चलाये जाते हैं और राशि उपयोग में लाई जाती है ।

तेनुघाट विद्युत निगम--इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि का पूर्णरुपेण उपयोग किया गया है । बचत का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

उपर्युक्त बोर्ड/निगमों के उत्तर से स्पष्ट है कि बोर्ड/निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग किया गया है जिसके आलोक में इसे निरस्त करने को कृपा करेगी ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशें

समिति इस कंडिका को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहती है इस निदेश के साथ कि समय पर उपयोगिता प्रमाण.पत्र विभाग उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ।

ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन

वर्ष 1989-90 (सिविल) की कंडिकाओं पर

लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन

ऊर्जा विभाग

वर्ष 1989-90 (सिविल)

कंडिका संख्या 2.2.2

1989-90 के दौरान अनुदान/विनियोग के मुकाबले वास्तविक व्यय की कमी के फलस्वरूप बचत।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभागीय पत्रांक-2930, दिनांक 19 सितम्बर, 2001

इस कंडिका के सम्बन्ध में ऊर्जा विभाग के अधीन कार्यरत कार्यालयों, बोर्ड/निगमों से प्राप्त उत्तर का सारांश निम्नवत है :—

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड—बोर्ड को वर्ष 1989-90 में जो राशि उपलब्ध कराई गई उसका विवरण निम्नवत है :—

योजना/ऋण मद	अनुदान	कुल
155.61	40.37 करोड़	195.98 करोड़

प्रक्रिया के अनुपालन में विद्युत बोर्ड के लिए कर्णांकित जो राशि उपलब्ध हो पाई। वह उक्त प्रकार विद्युत बोर्ड को उपलब्ध करा दी गई।

बिहार राज्य जल विद्युत निगम—निगम को हिस्सा पूंजी अनुदान के रूप में 4.50 करोड़ रुपये तथा उधार के रूप में 10.50 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध हुई है, जो योजना के कार्यान्वयन में उपयोग में लायी गई।

प्रक्रिया के अनुपालन में बिहार राज्य जल विद्युत निगम को कर्णांकित राशि जिसकी निकासी हो सकी, वह निगम को उपलब्ध करा दी गई।

बेडा—वर्ष 1989-90 में बेडा को अनुदान के रूप में राज्यांश का 2.4019 करोड़ तथा केन्द्रांश का 1.6844 करोड़ रुपये उपलब्ध हुआ। इस प्रकार बेडा को राज्यांश तथा केन्द्रांश को मिलाकर 4.0863 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ, जिसमें से वर्ष में 3.6649 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।

प्रक्रिया के अनुपालन में बेडा को कर्णांकित राशि में से जिस राशि की निकासी हो सकी है, बेडा को उपलब्ध करा दी गई।

तेनुघाट विद्युत निगम—निगम के अनुदान के मद में कोई राशि उपलब्ध नहीं हुई।

उपर्युक्त बोर्ड/निगमों से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रक्रिया के अनुपालन में जो भी राशि की निकासी हो सकी है, बोर्ड/निगमों को विभाग द्वारा प्राप्त करा दिया गया है । उसके आलोक में अनुरोध है कि इस कंडिका को निरस्त करने की कृपा की जाय।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशें

समिति इस कंडिका को इस निदेश के साथ आगे नहीं बढ़ाना चाहती है कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा कर्णांकित राशि समय पर निगम/बोर्ड को उपलब्ध करा दें।

कंडिका संख्या 2.2.4

स्वीकृत अनुदानों में से व्यय प्रत्येक एक करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक हो गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस कंडिका के सम्बन्ध में ऊर्जा विभाग के अधीन कार्यरत कार्यालयों, बोर्ड/निगमों से प्राप्त उत्तर का सारांश निम्नवत है :--

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड--बोर्ड को वर्ष 1989-90 में जो राशि उपलब्ध कराई गई उसका विवरण निम्नवत है :—

योजना/ऋण मद	अनुदान	कुल
155.61	40.37 करोड़	195.98 करोड़

प्रक्रिया के अनुपालन में विद्युत बोर्ड के लिए कर्णांकित जो राशि उपलब्ध हो पाई वह उक्त प्रकार विद्युत बोर्ड को उपलब्ध करा दी गई।

बिहार राज्य जल विद्युत निगम—निगम को हिस्सा पूंजी अंशदान के रूप में 4.50 करोड़ रुपये तथा उधार के रूप में 10.50 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध हुई है, जो योजना के कार्यान्वयन में उपयोग में लायी गयी।

प्रक्रिया के अनुपालन में बिहार राज्य जल विद्युत निगम को कर्णांकित राशि जिसकी निकासी हो सकी, वह निगम को उपलब्ध करा दी गयी।

ब्रेडा—वर्ष 1989-90 में ब्रेडा को अनुदान के रूप में राज्यांश की 2.4019 करोड़ तथा केन्द्रांश का 1.6844 करोड़ प्राप्त उपलब्ध हुआ। इस प्रकार ब्रेडा को राज्यांश तथा केन्द्रांश को मिलाकर 4.0863 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ, जिसमें से वर्ष में 3.6549 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।

प्रक्रिया के अनुपालन में बेडा को कर्णांकित राशि में से जिस राशि को निकासी हो सकी है, बेडा को उपलब्ध करा दी गई।

तेनुघाट विद्युत निगम - अनुदान के मद में कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई।

ऊर्जा विभाग के अधीन कार्यरत बोर्ड/निगमों से उक्त प्रकार प्राप्त प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि प्रक्रिया के अनुपालन में जो भी राशि की निकासी उक्त वर्ष में हुई है, उसे बोर्ड/निगमों को तत्परता से उपलब्ध करा दिया गया है, जिसके आलोक में समिति इस कंडिका को निरस्त करने की कृपा करें।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशें

यह कंडिका 2.2.2 के समरूप है, अतः समिति इस कंडिका को इस निदेश के साथ आगे नहीं बढ़ाना चाहती है कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा कर्णांकित राशि समय पर निगम/बोर्ड को उपलब्ध करा दे।

कंडिका संख्या 2.2.6

वर्णित अनुदानों में लगातार बचत देखी गई।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस कंडिका के सम्बन्ध में ऊर्जा विभाग के अधीन कार्यरत कार्यालय, बोर्ड/निगमों से प्राप्त उत्तर निम्नवत है :—

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड—बोर्ड को वर्ष 1989-90 में कुल 195.98 करोड़ रुपये की विमुक्ति हुई। जिसमें योजना/ऋण मद में 155.80 करोड रुपये अनुदान मद में 40.37 करोड़ रुपये उपलब्ध हुआ।

बिहार राज्य जल विद्युत निगम—निगम को हिस्सा पूंजी अंशदान के रूप में 4.50 करोड़ रुपये एवं उधार मद में 10.50 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई।

बेडा—वर्ष 1989-90 में बेडा को अनुदान के रूप में राज्यांश 2.4019 करोड़ और केन्द्रांश का 1.6844 करोड़ रुपये हुआ। इस प्रकार बेडा को राज्यांश तथा केन्द्रांश को मिलाकर 4.0863 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ जिसमें से वर्ष में 3.6549 करोड़ रुपये का उपयोग हुआ।

तेनुघाट विद्युत निगम—निगम को अनुदान के मद में कोई राशि उपलब्ध नहीं हुई है ।

ऊर्जा विभाग के उक्त बोर्ड/निगमों को कर्णांकित राशि में से प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए निकासी की गई, राशि उक्त प्रकार बोर्ड/निगमों को बिना विलम्ब के उपलब्ध करा दी गई, जिसके आलोक में समिति इस कंडिका को निरस्त करने की कृपा करेगी ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहती है ।

कंडिका संख्या 2.2.9

बचतों का अध्यर्पण

विभागीय स्पष्टीकरण

इस कंडिका के सम्बन्ध में ऊर्जा विभाग के अधीन कार्यरत कार्यालय, बोर्ड/निगमों से प्राप्त उत्तर निम्नवत है : —

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड—बोर्ड को वर्ष 1989-90 में जो राशि उपलब्ध कराई गई उसका विवरण निम्नवत है :—

योजना/ऋण मद	अनुदान	कुल
155.61	40.37 करोड़	195.98 करोड़

प्रक्रिया के अनुपालन में विद्युत बोर्ड के लिए कर्णांकित जो राशि उपलब्ध हो पायी, वह उक्त प्रकार विद्युत बोर्ड को उपलब्ध करा दी गई ।

बिहार राज्य विद्युत निगम—हिस्सा पूंजी अंशदान के रूप में 4.50 करोड़ रुपये तथा उधार के रूप में 10.50 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध हुई है, जो योजना के कार्यान्वयन में उपयोग में लायी गयी ।

प्रक्रिया के अनुपालन में बिहार राज्य जल विद्युत निगम को कर्णांकित राशि जिसकी निकासी हो सकी, वह निगम को उपलब्ध करा दी गई ।

ब्रेडा—वर्ष 1989-90 में ब्रेडा को अनुदान के रूप में राज्यांश का 24019 करोड़ तथा केन्द्रांश का 1.6844 करोड़ रुपये उपलब्ध हुआ । इस प्रकार ब्रेडा को राज्यांश तथा केन्द्रांश को मिलाकर 4.0863 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ जिसमेंसे वर्ष में 3.6549 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया ।

तेनुघाट विद्युत निगम –निगम को ऋण के मद में प्राप्त कराई गई राशि में से किसी प्रकार की बचत नहीं हुई। निगम परियोजना निर्माणाधीन है।

उक्त बोर्ड/निगमों को कर्णांकित राशि में जो भी राशि प्रक्रिया के अनुपालन में निकासी को जा चुकी हैं, उसे बोर्ड/निगमों को तत्परता से उपलब्ध कराया गया है। साथ ही किसी भी कंडिका की राशि के दुरुपयोग या बजट प्रावधान से अधिक खर्च किये जाने का कोई मामला नहीं है। विभाग द्वारा अपने स्तर से कर्णांकित राशि को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। फलतः समिति उक्त कंडिका को निरस्त करने पर विचार करना चाहेगी।

समिति से निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है।

रामदेव वर्मा,
सभापति,
लोक-लेखा समिति।

पटना:
दिनांक 18 फरवरी, 2021।

बि०स०शा०मु०–22 एल० ए० 650–11-6-2002–अ० कु० सिन्हा।